Beggar Homes for providing vocational and technical education for the rehabilitation of beggars. There are 12 Beggar Homes in the National Capital Territory of Delhi.

स्वायत्तशासी निकायों और संगठनों में आरक्षण

7292. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कम्पनियों को सरकार के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी अनुदानों पर चलने वाले संगठनों में अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. ओ. तंक्काबालू) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राज्यों में अन्य पिछड़ वर्गों की पहचान

7293. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री 18 मार्च 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3564 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं जहां पर अब तक पिछड़े वर्गों का पता नहीं लगाया गया है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिये हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंक्काबालू) : (क) भारत सरकार उन राज्यों।संघ राज्य क्षेत्रों क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ, जिन्होंने अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान उन्हें सूचित नहीं किया है लिखा पढ़ी कर रही है कि व अन्य पिछड़े वर्गों की शीघ्र पहचान/अधिसूचित करें ।

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि सांवैधानिक दायित्वों की पूर्ति में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है ।

अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा इत्यादि की छूट

7294. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु-सीमा, आवेदन शुल्क और अर्क-पात्रता छूट देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंक्काबालू) : (क) तथा (ख) यह मामला परीक्षणधीन है ।

Complaints with National Commission for Minorities

7295. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received by the National Commission for Minorities against discrimination of minorities, against violation of safe-guards to minorities in the Constitution and against non-implemetation of the safeguards by Government; and

(b) the number of cases where the Commission has initiated action so far under its power of Civil Courts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) The National Commission for Minorities was constituted under the National Commission for Minorities Act, 1992 on 17th May, 1993. The Commision had received various representations and also some complaints and upto end of March' 94 their number comes to about 450. These include complaints regarding discriminations and other grievances of the minorities on account of compensateion to the riot-affected persons, recruitment, bank, loans, police atrocities and non-implementation of 15-Point Programme etc.

Some of the complaints relate to non-recognition of minority managed educational institutions, permission to start technical educational institutions and admission to minority managed institutions. These relate to Article 30 of the Constitution about safeguard for the Right of Minorities to establish and administer educational institutions.

(b) Keeping in view the nature of complaints received by the Commission, the Commission has not demand it fit and proper to exxeroise the powers of a Civil Court vested in it under the National Commision for Minorities Act 1992.

Gift Consignment Received from Foreign Donor Organisation

7296. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of bilateral agreements entered into by the Government with various foreign Government's on gift consignments received from donor organisations, during the last three years till date;

(b) the details of the supplies received as donation under the above agreements for relief and rehabilitation of the poor and the needy in this country; and

(c) the names of the approved recipient organisations in India which received these donated supplies duty-free alongwith the names of the approved foreign donor organisations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) In the last 3 years till date no bilateral agreement has been entered into with any foreign government for gift consignments. The Government of India entered into the bilateral agreements with USA on 5.12.68, with U.K. on 20-10-64, with Germany on 24.7.68, with Switzerland on 9.8.66 and with Sweden on 20.9.66.

(b) and (c) The information will be collected and placed on the Table of the House.

मुसलमानों के लिए आरक्षण

7297. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :**
श्री ओ. पी. कोहली :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित इंडियन नेशनल लीग ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 90 प्रतिशत मुसलमान पिछड़े हुए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजनीतिक क्षेत्र में उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या सरकार से इस आशय की मांग की गई है कि पिछड़े हुए मुसलमानों को 27 प्रतिशत आरक्षण का आधा हिस्सा उपलब्ध कराया जाए, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जायें और शिक्षा संस्थाओं में उन्हें आरक्षण दिया जाए तथा पिछड़ी श्रेणियों की सूचियां तैयार करते समय